न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 197/2019(2019/00306)

अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी भैरूछानी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा छानीबड़ी।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री विनोद कुमार वकील –वादी

राजपैरोकार –प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता सं0 49/44 के मुरब्बा न0 57 के किला न0 18 ता 23, मु0 न0 61 के किला न0 1 ता 3 कुल किता 9 की कुल 2.277 हैक्टेयर नहरी प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम देवीलाल पुत्र लखीराम के स्थान पर देवीदत पुत्र लखीराम दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम देवीलाल की बजाऐ देवदत दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता लखीराम के देवीदत नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड व परिवार राशनकार्ड की प्रति में भी प्रार्थी का नाम देवीलाल पुत्र लखीराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गढ़ीछानी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में देवीलाल की बजाये देवीदत दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड [illegible] अंकित [illegible] देवीदत के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम देवीलाल [illegible] है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से [illegible] में प्रार्थी का नाम [illegible] के स्थान पर देवीदत दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं [illegible]न्द्र सरकार द्वारा बैंकों [illegible]देन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजना ओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम देवीदत दर्ज रहने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के चक 5 सीएचएन के खाता सं0 49/44 के मुरब्बा न0 57 के किला न0 18 ता 23, मु0 न0 61 के किला न0 1 ता 3 कुल किता 9 की कुल 2.277 हैक्टेयर नहरी में प्रार्थी का नाम देवीलाल दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी देवीलाल पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी भैरूछानी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये जो चक 5 सीएचएन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 49/44 प्रदर्श 1, चक 5 सीएचएन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 114/103 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत गढ़ीछानी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता सं0 49/44 के मुरब्बा न0 57 के किला न0 18 ता 23, मु0 न0 61 के किला न0 1 ता 3 कुल किता 9 की कुल 2.277 हैक्टेयर नहरी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि " **प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम देवीलाल के स्थान पर देवीदत दर्ज हो गया।** " जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड व परिवार राशनकार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम देवीलाल अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता सं0 49/44 के मुरब्बा न0 57 के किला न0 18 ता 23, मु0 न0 61 के किला न0 1 ता 3 कुल किता 9 की कुल 2.277 हैक्टेयर नहरी में प्रार्थी का नाम "**देवीदत के स्थान पर देवीदत उर्फ देवीलाल**" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए देवीदत ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई समस्या आती है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी।

निर्णय आज दिनांक 08/12/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:31 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ